इस्तहार / नोटिस

न्यायालय नियत प्राधिकारी / परगना मजिस्ट्रेट पीलीभीत

वाद संख्या- 05 सन् 2012

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, पीलीभीत जिला-पीलीभीत।

बनाम्

श्री गन्धर्व सिंह सिसौदिया पुत्र श्री राजा राम सिंह निवासी- ए-268, आवास विकास कालोनी, पीलीभीत।

नोटिस अन्तर्गत धारा (4) उपधारा (1) सार्वजनिक ग्रहादि 22 / 92

चूँकि मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्न वर्णित आधारो से सन्तुष्ट हूँ कि अधोलिखित सार्वजनिक सम्पत्ति पर अनाधिकृत रूप से काबिज है और आपको उक्त सम्पत्ति जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, से बेदखल कर दिया जावे।

आधार

1. यह कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, पीलीभीत द्वारा जयसन्तरी देवी आवास एवं गृह स्थान योजना के अन्तर्गत आपको क्रय विक्रय पद्धति से भवन संख्या ए-268 आवंटित किया गया था, जिसका विवरण अनुसूची में अंकित है। दिनांक 28.02.1988 को किया गया था और इसके सम्बन्धित में आपने प्रार्थी के साथ दिनांक 15.03.1988 को हायर परचेज एग्रीमेन्ट का मुहायदा किया तथा दिनांक 25.03.1988 को भवन पर कब्जा प्राप्त कर लिया। आप इस साक्ष्य की परिषद की उक्त सम्पत्ति पर काबिज हैं।
2. यह कि उक्त मुहायदे के अनुसार आपकी हैसियत उक्त सम्पत्ति पर दिनांक 01.03.1988 से दिनांक 28.02.2013 तक केवल किरायेदारी की थी और आपको बिना किसी तकाजे के आवास एवं विकास परिषद पीलीभीत के खाते में प्रतिमाह मुबलिग रूपया 374-50 बतौर किश्त के जमा करने थे। उक्त किश्त की अदायगी की शर्तो के अनुसार 30 दिन की छूट प्राप्त थी।
3. यह कि निर्धारित अवधि में किश्त जमा न करने की दशा में देय तिथि से देय धनराशि का 18 प्रतिशत दड ब्याज देय होता है।
4. यह कि मुहायदे के शर्तो के अनुसार आवंटी तीन से अधिक किश्तों की अदायगी में चूक करता है तो उसकी किरायेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है।
5. यह कि आपने इस अनुबन्ध के अनुसार किश्तों की अदायगी नहीं की और तीन से ज्यादा किश्तों की अदायगी में चूक की जिसके कारण आपकी किरायेदारी स्वतः समाप्त हो गई और दिनांक 01.08.2011 तक आपकी और बाबत किश्त रू. 1,05,234-50 एवं बाबत दण्ड ब्याज रूपया 2,15,004-90 देय है। जिसके बिना पर आपका पंजीकरण एवं आवंटन परिषद के कार्यालय के पत्र संख्या 4240 दिनांक 06.12.1988 द्वारा निरस्त कर दिया गया और उसकी सूचना आपको पंजीकृत डाक से दिनांक 06.12.1988 को भेज दी गयी थी और आपको निर्देशित किया गया था कि आप प्रार्थी को इस सम्पत्ति / स्थान पर कब्जा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-23 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सिविल लाइन, बरेली को 15 दिन के अन्दर सौंप दें।
6. यह कि आपने अभी भी मकान का कब्जा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-23, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सिविल लाइन, बरेली को हस्तगत नहीं किया और अभी भी आप उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध अध्यासन में हैं और आप बिना किसी अधिकार के भवन में अवैध रूप से रह रहें हैं।

अतः अधिनियम की उपधारा 1 धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में, मैं आपको एतदद्वारा सूचित करता हूँ कि आप दिनांक **16 माह 9 सन् 2013** या उससे पूर्व कारण बताये कि क्यों न बेदखल आदेश पारित किया जावे।

अनूसूची-

टैगोर नगर स्थित खण्ड - संख्या एक का भवन संख्या ए-268

पूरब - म0आ0 वर्ग भवन, पश्चिम- सड़क,

उत्तर - दु0आ0 वर्ग भवन संख्या ए-267,

दक्षिण - दु0आ0 वर्ग भवन संख्या ए-269

दिवस **16** माह **08** सन् **2013** मेरी हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नगर मजिस्ट्रेट
पीलीभीत

उ.प्र आवास विकास परिषद की ओर से सम्बन्धित आवंटियों के संज्ञान हेतु नोटिस प्रकाशित है।

IS 15700:2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: http://www.upavp.com E-mail : upavp@sanchar.net.in

IS

Size- 8 x 22